TECHNICAL EDU... DIRECT... BHOPAL
DATE 20 JUN 2019

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीं विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांकः एफ-02-01/2019/41-2 भोपाल, दिनांक 19/06/19

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3. विभागाध्यक्ष, समस्त
मध्यप्रदेश।
4. संभागायुक्त ,समस्त
मध्यप्रदेश।
5. जिला कलेक्टर्स समस्त मध्यप्रदेश।
6. पुलिस अधीक्षक, समस्त, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (ई-वेस्ट) के सुरक्षित निवर्तन के संबंध में निर्देश।
सन्दर्भ:-विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ-02.01.2010/56 दिनांक 08 अगस्त 2014

------00-----

कृपया उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक उत्पादों से निकलने वाला कचरा (ई-वेस्ट) भी सम्मिलित है। चूंकि इस ई-वेस्ट में अनेक प्रकार के खतरनाक रसायन शामिल होते हैं, अतः मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रानिक वेस्ट का प्रबंधन एवं निस्तारण करना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2011 अधिसूचित किये गये हैं जो कि 01 मई, 2012 से प्रभावी हैं।

परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के अनुसार वे सभी व्यक्ति, जो इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। समस्त केन्द्रीय एवं राज्य शासन के विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, निजी कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान तथा कारखाना अधिनियम 1948 कंपनी नियम- 1956 अथवा समिति पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत कार्यरत अथवा पंजीकृत संस्थान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास नियम 2006 के अन्तर्गत कार्यरत एजेन्सियों को **"बल्क कन्ज्यूमर्स"** की श्रेणी में रखा गया है। इन समस्त

कार्यालयों एवं संस्थाओं से नियमों के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि ई-वेस्ट को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन तकनीक के द्वारा उसके निस्तारण हेतु वह सभी कदम उठाये जायें, जिससे उनमें विद्यमान खतरनाक तत्वों से किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर न पड़े।

अतः प्रत्येक उपभोक्ता (जो इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उपयोग करता है) का दायित्व है कि वह इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न ई-वेस्ट को प्रश्नाधीन नियमों के तहत अधिकृत डीलर या संकलनकर्ता को ही सौंपे। नियमानुसार बल्क कन्ज्यूमर को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विचाराधीन वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर रिटर्न फार्म-3 में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।

प्रायः यह देखा गया है कि इस तरह के ई-वेस्ट को शासकीय प्रक्रियानुसार निविदा/नीलामी कर कबाड के रूप में विक्रय किया जाता है। ई-वेस्ट के सुरक्षित निष्पादन की दृष्टि से ई.वेस्ट का विक्रय शासकीय प्रक्रिया(टेण्डर/कोटेशन)के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण द्वारा प्राधिकृत डिस्मेंटलर/रिसाईकलर्स को ही देने की शर्त के साथ किया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि म.प्र.नियंत्रण मंडल द्वारा वर्तमान में पंजीकृत रिसायक्लर्स की सूची में मध्यप्रदेश में मेसर्स यूनिक ईको रिसाईकल, प्लॉट नं. 26, इण्डस्ट्रियल एरिया, पालदा, इन्दौर (म.प्र.)तथा मेसर्स मूनस्टार एण्टरप्राईजेस प्रा0लि0,प्लाट नं0 2424/ए,24ए-1,24/डी,21/ ई 21ई-1,सेक्टर बी,सांवेररोड,औद्योगिकी क्षेत्र जिला इन्दौर अधिकृत है।

उपरोक्त संदर्भ में यह अपेक्षित है कि विभाग/कार्यालय में परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 तथा ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2011 का भलीभाति अध्ययन कर विभाग के अन्तर्गत आनेवाले सभी कार्यालयों/ प्रतिष्ठानों/ निगम/ मण्डलों आदि को ई-वेस्ट जिसमें कम्प्यूटर्स तथा इसकी एसेसरीज़ जैसे- प्रिन्टर, मानिटर, सीपीयू, फैक्स, मशीन, पीबीएक्स मशीन, सीडी, डीव्हीडी, लैपटाप, मोबाइल, टीवी, यूपीएस आदि के कचरे को पर्यावरण- मित्र एवं नियमानुसार निर्वतन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

19/6/19
(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्रमांकः एफ.02-01-2019/41-2 भोपाल, दिनांक 19/06/19

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।

3. समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/ अभिलेख/ पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
18. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
20. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
21. जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर्स, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटीज़, समस्त मध्यप्रदेश।
22. जिला प्रबंधक लोक सेवा, समस्त जिला।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

पृ.क्रमांक/3/स्था/ड़ी/2019/856 /भोपाल दिनांक 24/6/19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

1. संस्था प्रमुख, समस्त तकनीकी, शिक्षण संस्थायें, मध्यप्रदेश।
2. संचालनालय के समस्त अधिकारी एवं उपविभाग।
3. संचालकजी के वरिष्ठ निज सहायक।
4. चीफ आई.टी. ऑफिसर (कम्प्यूटर शाखा) की ओर इस निर्देश के साथ कि शासन से प्राप्त परिपत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख
संचालनालय तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश